


23.04.2025:-पत्रावली आज पेशी में ली गई। वादी वकील उपस्थित। वादी अधिवक्ता के निवेदन पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पत्रावली में अधिवक्ता की बहस एवं साक्ष्य सबूतों को मध्यनजर रखते हुए। विभाजन अनुसार डिक्री अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाये जाने उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया। डिक्री की पालना में तहसीलदार हनुमानगढ़ को पत्र जारी होकर पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलक्टर
एवं उपपंचायत अधिकारी
हनुमानगढ़

